न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :02/2025(जी.सी.एम.एस.2025/19)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. जसवन्त सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 47 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:-27.01.2025

उपस्थित: 1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह

—निर्णय— दिनांक : 12.03.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 47 के मुरब्बा नम्बर 15 में प्रार्थी का टयूबवैल लगा हुआ है। प्रार्थी ने मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 21 व मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 25 में डिग्गिया बना रखी है। उक्त दोनों डिग्गयों में प्रार्थी को अपने मुरब्बा नम्बर 15 में स्थित टयूबवैल की पाईपलाईन डालने हेतु मुरब्बा नम्बर 15, 16, 17, 18 प्रत्येक के किला नम्बर 21 से 25 में से खुदाई करने की आवश्यकता है। इसके अलावा अन्य कोई विकल्प प्रार्थी के पास शेष नहीं है। उक्त पाईपलाईन डालने के लिए प्रस्तावित भूमि राजस्व अभिलेख में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज है। प्रार्थी को सिंचाई सुविधा के लिए मुरब्बा नम्बर 15, 16, 17, 18 प्रत्येक के किला नम्बर 21 से 25 प्रत्येक की 2-2 गैरमुमकिन रास्ता की भूमि में से पाईप लाईन की अतिआवश्यकता है, जिससे अन्य किसी को कोई नुकसान नहीं है और अन्य कोई प्रार्थी के पास विकल्प नहीं है। इसलिये न्यायाहित में पाईप लाईन की मंजूरी दी जानी आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम 47 एफ के मुरब्बा नम्बर 15, 16, 17, 18 प्रत्येक के किला नम्बर 21 से 25 प्रत्येक की 2-2 गैरमुमकिन रास्ता की भूमि में से पाईप लाईन डालने की स्वीकृति प्रदान किये जाने के आदेश दिए जावे।

2. प्रार्थना पत्र पेष होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रकरण के संबध में रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्रांक 137 दिनांक 07.03.2025 के साथ मूल रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक 9 एफ ए. फर्द मौका मय नजरी नक्शा प्रस्तुत की गई। उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हलका द्वारा चक 47 एफ के मुरब्बा नम्बर 15, 16, 17, 18 के मौका पर जाकर, भौतिक सत्यापन व पडोसी काश्तकारान से पूछताछ कर, यह पाया गया कि चक 47 एफ के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 15/1 में टयूबवैल लगाया जाना प्रस्तावित है। मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 21 एवं मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 25 में पक्की डिग्गीयां बनी हुई है। मुरब्बा नम्बर 15 से 18 प्रत्येक के किला नम्बर 21 ता 25 प्रत्येक में 2-2 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है। जो मौके पर चालू है।

3. हमने प्रार्थी, की बहस सुनकर स पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा प्रेषित भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा चक 47 एफ के मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 21 एवं मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 25 में बनी डिग्गियों तक पाईन लाईन की पंहुच के लिए मुरब्बा नम्बर 15, 16, 17, 18 प्रत्येक के किला नम्बर 21 से 25 प्रत्येक की 2-2 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ता की भूमि में

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

से पाईन लाईन डालने की अनुमति चाही गई है। यह प्रार्थी की आत्यतिंक आवश्यकता है। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थी का स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 47 एफ, पटवार हल्का 50 एफ रूपनगर, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 15, 16, 17, 18 प्रत्येक के किला नम्बर 21 से 25 प्रत्येक की 2—2 बिस्वा भूमि में दक्षिणी बट के साथ—साथ चल रहे गैरमुमकिन रास्ता की उतरी बट के साथ—साथ 3 फीट गहराई में भूमिगत पाईप लाईन डालने की अनुमति इस आदेश के साथ प्रदान की जाती है कि पाईप रास्ते के एक ओर डाली जाऐगी। रास्ते के दोनों ओर के किसानों से कोई विवाद नहीं किया जाऐगा। भविष्य में अगर रास्ता पक्का किया जाता है तो कोई रूकावट नहीं डाली जाऐगी। पाईप के रख रखाव व मरम्मत की जिम्मेवारी स्वंय प्रार्थी की होगी। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि उक्त पाईप लाईन क्षेत्रफल 0.092 हैक्टेयर की प्रतिकर राशि 11960/— रुपए प्रार्थी से वसूल कर राजकोष में जमा करवाई जावे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालना बाबत आदेश जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर
जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 12.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सेर इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर) ★